संघ प्रमुख 75 में 'सेवानिवृत्ति' के पक्ष में, तो मोदी क्यों अपवाद!

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 08 | मूल्य 15 रुपये | 13-19 जुलाई, 2025

देवभूमि में "धर्म के नाम पर धोखा नही"

S N MEMORIAL PUBLIC SCHOOL

AFFILIATED TO CBSE,NEW DELHI(AFF.NO. 3530383),CO-EDUCATIONAL DAY & DAY BOARDING SCHOOL

BHAUWALA , DEHRADUN

S.N. Memorial Public School is a premier CBSE-affiliated institution located in Bhauwala, Dehradun providing English-medium, co-educational programs from Nursery through Class XII. Our unwavering commitment to quality education emphasizes holistic development through experiential learning.

We aim for academic excellence by implementing the National Education Policy (NEP) 2020, ensuring a comprehensive educational experience. Our key focus areas include: Academic excellence, Physical development, Creative expression and Moral growth.

We are pleased to report a 100% pass rate in the Class XII and X Board examinations for the academic year 2024-25. We extend congratulations to our students, parents, and staff for this outstanding achievement.

TOPPERS XII

AISHA RANA 95 %

HARSHITA JOSHI 94%

RIYA 94%

NEHA RAWAT 93%

ANJANA 93 %

NANCY PANDEY 91.4 %

NIDHI RAWAT 91.2%

TOPPERS X

SARTHAK DHASMANA 94%

PRATIBHA YADAV 92 %

SAMRIDHI NEGI 90%

VAIBHAV NEGI 88 %

PRIYANSHU GAUR 87%

PRAKARITI THAPA 87%

AKSHITA 86%

S N MEMORIALPUBLIC SCHOOL BHAUWALA 248007
Website:- snmemorialpublicschool.com
9927005527 , 7055504876
Email:-snmemorialpublicschool@gmail.com

वर्ष 15 | अंक 08

दिव्य हिमगिरि

13-19 जुलाई, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देश में डायन का खौफ

एक ओर, विज्ञान की उपलब्धियों के रोज नई ऊंचाइयों को छूने का जश्न मनाया जाता है, वहीं वैज्ञानिक चेतना से दूर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास में आकर किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकते। बिहार में पिछले कुछ दिनों के भीतर आपराधिक घटनाओं में जैसी तेजी आई है, उससे यही लगता है कि सरकार के हाथ से सब कुछ छूट गया है और अपराध को अंजाम देने वाले बेलगाम हैं। पिछले हफ्ते पटना में एक व्यवसायी और सीवान में तीन लोगों की हत्या की घटना से उपजा तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सोमवार को राज्य में चौबीस घंटे में नौ लोगों की हत्या कर देने की घटनाएं सामने आईं। सबसे दहलाने वाली खबर पूर्णिया जिले के टेटमा गांव से आई, जहां 'जादू-टोना' के संदेह में एक ही परिवार के पांच लोगों को क्रूरता से मारा-पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। इस घटना की जड़ें अंधविश्वास और अराजकता से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वहां सरकारी तंत्र की मौजूदगी रही हो या फिर वहां लोगों के भीतर पुलिस या कानून का कोई भय हो। गौरतलब है कि एक बच्चे की बीमारी नहीं ठीक हो पाने के बाद कुछ लोगों ने 'डायन' बता कर एक ही परिवार के पांच लोगों की जान ले ली। इस घटना के दौरान वहां दो सौ से ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद थी और अराजकता चरम पर थी। निश्चित तौर पर यह कानून-व्यवस्था की नाकामी है, लेकिन हकीकत यह भी है कि बहुत सारे लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे में जीने-मरने के लिए छोड़ दिया गया है! एक ओर, विज्ञान की उपलब्धियों के रोज नई ऊंचाइयों को छूने का जश्न मनाया जाता है, वहीं वैज्ञानिक चेतना से दूर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास में आकर किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकते। जबकि यह उन्हें कानून के कठघरे में खड़ा कर सकता है और कई लोगों की जिंदगी जेल में कट सकती है। 'डायन' जैसे अंधविश्वास की वजह से आए दिन वंचित तबकों की महिलाओं की हत्या कर दिए जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह अफसोसनाक है कि ऐसे मौकों पर सरकार कानूनी कार्रवाई की औपचारिकता तो पूरी करती दिखती है, लेकिन इस समस्या की जड़ों पर चोट करने के लिए बहुत सक्रिय नहीं होती। जब तक समाज में अंधविश्वास पर आधारित धारणाओं को दूर करने के लिए ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ काम नहीं किया जाता, तब तक लोगों को इसके मकड़जाल से निकालना मुश्किल होगा। उत्तराखंड सरकार ने इस क्षेत्र में ऑपरेशन कालनेमि चलाकर इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। इस मुहिम के दौरान फर्जी टाइप के बाबाओं और तांत्रिकों की गिरफ्तारी की जारी रही है जो अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र, जादू टोने के माध्यम से लोगों की तकदीर बदलने और बीमारियों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाते है।

कुँवर राज अस्थाना

छात्र उपयोगी रोजगारपरक शिक्षाः समय की आवश्यकता

दीपेंद्र चौधरी *आईएएस*
सचिव, उत्तराखंड शासन

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना एक चुनौती है। छात्रों को सतत शिखर की ओर प्रशस्त करने व उनमें समस्या समाधान तार्किक रूप से सोचने की प्रवृत्ति को जगाना, शिक्षण प्रक्रिया को विद्यार्थी केन्द्रित एवं जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद पर आधारित लचीली एवं रूचिपूर्ण बनाना, सतत मूल्यांकन एवं तकनीकी का उपयोग करना, पाठयक्रमों एवं मूल्यांकन में बदलाव करना, समता और समावेश में वृद्धि करना, ऑनलाईन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा के बुनियादी ढ़ाचे में परिवर्तन करते हुए शिक्षा में व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ ही इसे खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत और प्रगतिशील बनाते हुए समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। अच्छे चिन्तनशील बहुमुखी और प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य (vision) है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं।

नई शिक्षा नीति में Accredited Credit Bank (ACB) को स्थापित किया जाना है, जिसमें छात्रों को Multi entry और Multi exit की सहूलित मिल सके। इसके साथ ही राज्य में शिक्षा आयोग का गठन करना एवं Multi disciplinary एजुकेशन, जो राजेगार और रिसर्च से जुड़ी हो, को बढ़ावा देना, शिक्षकों का नियमित और सतत प्रशिक्षण हेतु मानकों का निर्धारण करना तथा उनकी भर्ती के उद्देश्य से राज्य में राज्य शिक्षा आयोग बनाना तथा प्रशिक्षण हेतु राज्य में प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान बनाने का भी प्रावधान किया गया है। Choice Based Credit System में समेस्टर आधारित पाठयक्रम, जिनमें Multiple level Entry एवं Exit की सुविधा प्रदान करते हुए यदि कोई बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो बाद में भी उसे पढ़ाई करने का अवसर मिले। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान एवं अनुभव प्रदान करते हुए स्वरोजगार या उद्योग में रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना समय की आवश्यकता है।

अक्सर यह देखने में आ रहा है तथा इंडस्ट्री एवं रिक्रूटिंग एजेंसियों का भी यह कहना है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों को जो पढ़ाया जा रहा है, वह इंडस्ट्री एवं रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों को पाठयक्रमों को Redesign करना होगा, एवं पढ़ाने की तकनीक एवं तरीकों को बाजार की आवश्यकता के दृष्टिगत पाठयक्रम बनाना होगा तथा अध्ययनरत् छात्रों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर प्रदान करने हेतु पाठयक्रम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जाना होगा। वर्तमान समय में बहुत सी कंपनियां स्थापित ब्रांडेड शिक्षण संस्थान (जैसे आईआईटी/आईआईएम) इत्यादि से हटकर अन्य शिक्षण संस्थानों से भी अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्रूटमेंट कर रही हैं। रिक्रूटमेंट करते समय कंपनियां अपनी आवश्यकतानुसार बच्चों में स्किल-सेट को ज्यादा वरीयता दे रही हैं। स्किल-सेट के अन्तर्गत बच्चों में फंक्शनल एवं व्यवहारिक क्षमता को महत्व दे रही हैं। इसके साथ-साथ वर्तमान में यह भी ट्रेंड है कि कंपनियां Quite Hiring के माध्यम से आंतरिक रिक्रूटमेंट कर रही हैं। यदि किसी कंपनी में Job Vacancy Create हो रही हैं तो वह अपनी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में से उपयुक्त प्रतिभा (Suitable Talent) को चयनित कर उनको Upskill कर सीनियर पोशीजन में पदोन्नति देकर रिक्तियों को भर रही हैं।

संस्थानों में पाठ्यक्रम को Redesign करने के साथ-साथ Pedagogy (पढ़ाने के तरीके) में भी बदलाव की आवश्यकता है। यह कार्य शैक्षणिक संस्थान एवं इंडस्ट्री आपस में बैठकर, वर्तमान समय की जरूरत एवं मांग के अनुसार तय कर सकते हैं। इसमें पासआउट होने वाले छात्रों के इंडस्ट्रियल एक्सपोजर को फोकस करते हुए सैद्धान्तिक विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझाया जाए और वर्क इंटीग्रेटिड डिग्री एवं सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रारम्भ किये जाने चाहिए। अध्ययन के दौरान छात्र समेस्टर के पश्चात् इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्राप्त करें, जिससे उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर पढ़ाई के दौरान मिल सके, और फिर इस ट्रेनिंग और एक्सपोजर को अपने क्लासरूम में ला कर उसके अनुरूप, जो इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त ज्ञान, Functional एवं Behavioural Competency को छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान विकसित कर सकें। इससे रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत होगी। प्रशिक्षु छात्रों से कंपनियों को जो अपेक्षाएं हैं, कार्य एवं रोल की उम्मीद है उसकी जानकारी छात्रों को रहेंगी। इस ट्रेनिंग और एक्सपोजर से बच्चों में समय रहते उन्हें पर्याप्त स्किल-सेट एवं Competency विकसित करने का पर्याप्त समय एवं अवसर पढ़ाई के दौरान रहेगा।

जब मांग आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई होगी और Functional एवं Behavioural Competency छात्रों में होगी, तभी वह इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त बदलावों और तरीकों से विभिन्न संस्थानों से Pass Out होने वाले छात्रों में जहां एक ओर उनके Employability Quotient को बढ़ावा मिलेगा उसके साथ ही Salary Package भी अच्छा प्राप्त होगा।

बच्चों को अध्ययन के दौरान फैकल्टी का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि निरंतर छात्रों के स्किल-सेट को अपडेट करते रहें और छात्रों को निरंतर Competency में सुधार के लिए प्रोत्साहित करें जिससे वर्तमान में Fast charging Economy एवं market trends में उनकी Utility बरकरार रह सके। रोजगार के क्षेत्र में कंपनियां एवं इंडस्ट्रीज यह भी देखती है कि जिसे वे रोजगार प्रदान कर रहे हैं, वह उनकी कम्पनी में क्या Value addition कर सकता है। अतः वर्तमान में, छात्रों में Skill set, fuctional and behavioural competencies होना Employability quotient हेतु आवश्यक घटक हैं। इस प्रकार से हम रोजगारपरक शिक्षा के माध्यम से छात्रों के साथ न्याय करते हुए राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकेंगे।

(लेखक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं तथा वर्तमान में उत्तराखंड शासन में सचिव, आयुष एवं सैनिक कल्याण हैं।)

रिटर्निंग अधिकारी अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं: यशपाल आर्य

दोहरी मतदाता सूची में नाम होना असंवैधानिक था, हमने विषय उठाया, अब हाइकोर्ट ने भी इस असंवैधानिक माना: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य ने कहा कि, नगरीय और ग्रामीण दोनों निकायों की मतदाता सूची में नाम होने को असंवैधानिक बताने के उनके विचार की माननीय उच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज माननीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की खंड पीठ ने 11 जुलाई 2025 के सचिव, उत्तराखण्ड चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को अवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। इस स्पष्टीकरण द्वारा आयोग के सचिव ने नगरीय और ग्रामीण दोनों निकायों में मतदाता के रूप में दर्ज को मतदाताओं को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में मत देने और चुनाव लड़ने को वैधता दी थी।

उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आज खुली कोर्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि, नगरीय और ग्रामीण दोनों निकायों में मतदाता के रूप में दर्ज आवेदकों के नामांकन पत्रों की जांच आदि की कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में हो रहे पंचायत चुनावों में रिटर्निंग आफिसर्स राज्य सरकार के दबाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए असंवैधानिक और पंचायत राज अधिनियम के प्रतिकूल निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि, इस तरह के असंवैधानिक और नियम विरुद्ध निर्णय लेने वाले रिटर्निंग ऑफिसरों की जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, रिटर्निंग ऑफिसरों को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं सारा चुनाव उनके हाथ पर होता है इसलिए उनको गलत निर्णय के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए।

श्री आर्य ने कहा कि, टिहरी जिले के जिला पंचायत सदस्यों हेतु निर्धारित रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले सुबह सात नामांकन पत्र स्वीकृत कर दिए फिर शाम को अपना फैसला पलट कर उन्हीं स्वीकृत नामांकनों को अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि, किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को अपने फैसले पर पुनर्विचार की शक्ति नहीं होती है। इसी तरह रुद्रप्रयाग के एक रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा समर्थित 27 लाख के बकायेदार और वारंटी का नाम निर्देशन पत्र इस आधार पर स्वीकृत कर दिया कि मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। उन्होंने कहा कि, इस मामले में आपत्तिकर्ताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर को सारे प्रमाण देकर बताया था कि इस मामले में न तो उच्च न्यायालय ने बकायेदार के पक्ष में कोई स्थगन दिया है और न ही उसके पक्ष में कोई निर्णय है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, प्रदेश के हर जिले से सरकार के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसरों की मनमानी के ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जो चुनाव की निष्पक्षता और रिटर्निंग ऑफिसरों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसलिए समय रहते इन पर रोक लगानी आवश्यक है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

नगर निकायों और पंचायत दोनों की मतदाताओं सूची में शामिल नाम को लेकर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है। न्यायालय ने साफ कर दिया है दो जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों का नाम निरस्त किया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र को स्टे कर दिया है। इस मुददें पर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंड पीठ पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने साफ किया कि आखिर किस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दो सूची में नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में नगर निकायों त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में एक साथ नाम शामिल होने को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग-अलग निर्णय दिए हैं जिसे लेकर पंचायत चुनाव में कुछ लोगों के नामांकन रद्द हो गए हैं, तो कुछ लोगों के नामांकन को स्वीकृति मिल गई है। याचिकाकर्ता के के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान प्रश्न उठाया था कि देश में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में दो अलग-अलग निकायों में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा किस आधार पर ऐसे लोगों के निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। पंचायती राज अधिनियम की व्याख्या के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि आयोग द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उस आदेश पर स्टे दे दिया जाए। गौरतलब है कि याचिका में पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 6 और 7 का पालन न करने के शिकायत माननीय उच्च न्यायालय से की है। जिस पर सुनवाई चल ही है कि जिस मतदाता का नाम नगर निकाय एवं पंचायत सूची में भी है वह प्रत्याशी हो सकता है या नहीं..

देवभूमि में "धर्म के नाम पर धोखा नहीं"

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में आस्था के नाम पर फैलते पाखंड और ठगी के खिलाफ अब राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुआ 'ऑपरेशन कालनेमि' ऐसे फर्जी बाबाओं और बहुरूपियों के खिलाफ बड़ा कदम है, जो साधु-संतों के वेश में जनता को गुमराह कर रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून और हरिद्वार पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी बाबाओं के खिलाफ घरपपकड़ का अभियान चलाया। गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू हुए 'ऑपरेशन कालनेमि' ने उन चेहरों को बेनकाब किया है जो साधु-संत के वेश में समाज को गुमराह कर रहे थे। देहरादून में एक बांग्लादेशी नागरिक समेत 25 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी और हरिद्वार में 13 ढोंगी साधुओं की धरपकड़ ने इस पाखंड की गहराई को उजागर किया है। दरअसल, हाल में घटित फर्जी बाबाओं के जो काले कारनामे देखने को मिले, उससे निश्चित ही हमारी आस्था और विश्वास को गहरी चोट पहुंची है। मुख्यमंत्री धामी ने कड़े शब्दों में कहा- उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर आस्था की आड़ में छल अब बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा।

दिन गुरुवार, तारीख 10 जुलाई साल 2025, गुरु पूर्णिमा के दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार तक आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वाले फर्जी बाबाओं, छद्म वेशधारियों के साथ तंत्र-मंत्र विद्या का ढोंग करके भोली भाली जनता को लूटने वालों के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए गए 'एक्शन' से हड़कंप मच गया। सीएम धामी ने उत्तराखंड देवभूमि में फर्जी बाबाओं के खिलाफ 'ऑपरेशन कालनेमि' अभियान छेड़ दिया है। हरिद्वार, देहरादून में पिछले लंबे समय से ऐसे बाबाओं के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। इन पाखंडियों में कई मुस्लिम भी पकड़े जा चुके हैं। हरिद्वार में कई मुस्लिम छद्म वेशधारियों ने अपना अड्डा बना रखा है। मुख्यमंत्री धामी ने कड़े शब्दों में कहा-उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर आस्था की आड़ में छल अब बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड में आस्था के नाम पर फैलते पाखंड और ठगी के खिलाफ अब राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुआ 'ऑपरेशन कालनेमि' ऐसे फर्जी बाबाओं और बहुरूपियों के खिलाफ बड़ा कदम है, जो साधु-संतों के वेश में जनता को गुमराह कर रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून और हरिद्वार पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी बाबाओं के खिलाफ घरपकड़ का अभियान चलाया। गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू हुए 'ऑपरेशन कालनेमि' ने उन चेहरों को बेनकाब किया है जो साधु-संत के वेश में समाज को गुमराह कर रहे थे। देहरादून में एक बांग्लादेशी नागरिक समेत 25 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी और हरिद्वार में 13 ढोंगी साधुओं की धरपकड़ ने इस पाखंड की

गहराई को उजागर किया है। श्यामपुर क्षेत्र से पकड़े गए 18 बहुरूपिए तो कांवड़ियों को तंत्र-मंत्र के नाम पर डराने और बहकाने में लगे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह सख्त संदेश साफ है कि धार्मिक आस्था का अपमान करने वालों को उत्तराखंड की धरती नहीं बख्शेगी। अब वक्त आ गया है कि असली और नकली संतों के बीच की रेखा स्पष्ट हो, और यही काम कर रहा है 'ऑपरेशन कालनेमि'। यह सिर्फ एक अभियान नहीं, आस्था की रक्षा के लिए एक निर्णायक युद्ध है। सीएम धामी का यह ऑपरेशन देर आया दुरुस्त आया, कहा जा सकता है। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु-संतों का भेष धारण कर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस प्रकार असुर कालनेमि ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई 'कालनेमि' सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। हमारी सरकार जनभावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द्र बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत को एक बाबा प्रधान देश कह रहे हैं तो शायद यह अतिश्योक्ति नहीं है। दरअसल, हाल में घटित फर्जी बाबाओं के जो काले कारनामे देखने को मिले, उससे निश्चित ही हमारी आस्था और विश्वास को गहरी चोट पहुंची है। क्या यह कम विडंबना का विषय है कि आज हमारे देश में जो सर्वेक्षण बेरोजगारों की गिनती करवाने के लिए होना चाहिए था, वह फर्जी बाबाओं की गिनती को लेकर किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति सरकारी धन का गबन करता है तो उसे अपराधी घोषित किया जाता है। तो क्या ये अलग-अलग धर्मों के बाबा और तथाकथित धर्मगुरु, जो देश के लोगों से करोड़ों की संपत्ति आस्था के नाम पर ठग या लूट रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा- उत्तराखंड में आस्था के नाम पर छल नहीं बर्दाश्त

इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आस्था के नाम पर छल बर्दाश्त नहीं होगा। 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत छद्म साधु के वेश में ठगी करने वाले 25 लोगों को केवल 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। सनातन संस्कृति और समाज के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है, अब कोई कालनेमि कानून से बच नहीं पाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में सनातन

उत्तराखंड पुलिस द्वारा पकड़े गए फर्जी बाबाओं में बीस बाबा अलग-अलग राज्यों के

पुलिस ने जिन 25 बाबाओं को पकड़ा है, उनमें से 20 अलग-अलग राज्यों से हैं, जबकि एक आरोपी रूकन रकम उर्फ शाह आलम, बांग्लादेश के टंगाइल जिले का निवासी निकला। वह वर्षों से भारत में अवैध रूप से रहकर बाबा बनकर लोगों को मूर्ख बना रहा था। उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम में केस दर्ज कर लिया गया है और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के गिरफ्तार किए गए इन बाबाओं के नाम इस प्रकार हैं। प्रदीप निवासी ग्राम सुनहरी खड़खड़ी, गागलहेड़ी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। अजय चौहान निवासी ग्राम कल्याणपुर, बरबीगा सेखपुरा, सहारनपुर। अनिल गिरी निवासी मुबारिकपुर, अम्ब, ऊना हिमाचल प्रदेश। मंगल सिंह निवासी शिवाजी मार्ग, कांवली रोड, देहरादून। रोझा सिंह निवासी कांवली रोड। कोमल कुमार निवासी सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश। अश्वनी कुमार निवासी सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश। राजानाथ निवासी मोथरोवाला, सपेरा बस्ती, नेहरू कॉलोनी देहरादून। रामकृष्ण निवासी कंसपुर शिवपुरी, जगाधरी यमुनानगर, हरियाणा। शौकी नाथ निवासी खेड़ा बस्ती शिवपुर, जगाधरी, यमुनानगर, हरियाणा। मदन सिंह निवासी मटियानी, मड़ूवा, चंपावत। राहुल जोशी निवासी काली देवी मंदिर, हल्दौर, बिजनौर उत्तर प्रदेश। मोहम्मद सलीम निवसी पिरान कलियर, हरिद्वार। शिनभु निवासी अलवर, राजस्थान। सुगन योगी निवासी अलवर राजस्थान। मोहन जोशी निवासी दौसा, राजस्थान। नवल सिंह निवासी अलवर राजस्थान। भगवान सह निवासी दौसा राजस्थान। हरिओम योगी निवासी दौसा राजस्थान। रामकुमार निवासी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। गिरधारीलाल निवासी दौसा राजस्थान। अर्जुन दास निवासी होरियो तुला, असम

काकू निवासी टपरी बस्ती, हरिद्वार। सुरेश लाल निवासी बलिया उत्तर प्रदेश के हैं। बता दें कि पुलिस ने राजधानी देहरादून में वर्ष-2012 में फर्जी तांत्रिक व बाबा की गिरफ्तारी को अभियान चलाया था। उस दौरान कई मामले लगातार सामने आए थे। दो मामलों में तो एक युवक व बच्ची की जान तक चली गई। शहर में दून अस्पताल से लेकर दून चौक, कनक चौक, प्रिंस चौक, गांधी पार्क, राजपुर रोड, घंटाघर, चकराता रोड, त्यागी रोड और रेलवे स्टेशन आदि ऐसे प्रमुख स्थान हैं, जहां चौक-चौराहों से लेकर होटलों तक तांत्रिक व बाबा अपना ठीया लगाए बैठे नजर आते हैं। ऐसे ही हरिद्वार और ऋषिकेश में फर्जी बाबाओं की फौज भी जमा हो गई है।

धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। देहरादून और हरिद्वार में हुई कार्रवाई ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब धर्म की आड़ में धोखा नहीं चलेगा। यह अभियान धार्मिक नगरी की गरिमा बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम साबित होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि असली संतों की पहचान को बचाने के लिए यह बेहद जरूरी है। हरिद्वार पुलिस का यह कड़ा संदेश है कि कांवड़ मेले में फर्जीवाड़ा और आस्था के नाम पर अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमि ने साबित कर दिया है कि उत्तराखंड अब धर्म नहीं, पाखंड पर प्रहार करेगा। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पर की गई। उन्होंने बताया कि ढोंगी बाबाओं का यह गिरोह महिलाओं और युवाओं को अपने झूठे चमत्कारों और तंत्र-मंत्र के जाल में फंसाकर मानसिक और आर्थिक शोषण करता था। अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से ऑपरेशन कालनेमि के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं, ऐसे में अब दून में पुलिस और एसओजी की एक दर्जन टीमें गठित कर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। ऐसे लोगों की धरपकड़ की जाएगी जो तंत्र-मंत्र के नाम पर आमजन को ठगने या मतांतरण का कार्य कर रहे हैं। अजय सिंह बताया कि हिरासत में लिये गये लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिनमें बिना किसी धार्मिक ज्ञान के ढोंगी व्यक्ति साधु बनकर खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को डराकर या उन पर अनैतिक दवाब डालकर उन्हें ठग रहे हैं। अजय सिंह ने बताया कि इस समय प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा और शुक्रवार से शुरू कांवड़ यात्रा का सहारा लेकर ऐसे ढोंगी तेजी से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ताबीज बेचने वाले छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के धंधे से खड़ा किया काली कमाई का बड़ा साम्राज्य

पिछले दिनों लखनऊ के एक होटल से छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का एक संगठित नेटवर्क चलाया, जिसमें विदेशी फंडिंग से 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ। वह हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर और भोले-भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। गैंग के सदस्यों ने 40 से अधिक बार इस्लामी देशों की यात्राएं कीं और अलग-अलग बैंक खातों में मोटी रकम जमा की। छांगुर बाबा पर सैकड़ों महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने और अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त करने का आरोप है। जलालुद्दीन का जन्म बलरामपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके बाएं हाथ में छह उंगलियां होने के कारण लोग उसे 'छांगुर' कहकर बुलाने लगे। यह नाम उसकी शारीरिक विशेषता के कारण पड़ा, लेकिन यही नाम आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। अवैध धर्मांतरण के आरोपों में फंसे गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की संपत्तियों, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस), राज्य सरकार के अधिकारियों और कुछ बैंकों को पत्र लिखे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में इस बाबा का रहस्य खुलने में इतनी देर कैसे लग गई? दिव्य हिमगिरि की रिपोर्ट।

देश में एक बार फिर बाबारूपी इंसान बेनकाब हो गया। जांच पड़ताल में इसके गुनाह और काले कारनामों की परत खुली तो जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में इस बाबा का रहस्य खुलने में इतनी देर कैसे लग गई? इसका नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। छह दिनों से देश में जलालुद्दीन की करतूत सुर्खियों में है। फिलहाल यह छांगुर बाबा सलाखों के पीछे है। पिछले दिनों लखनऊ के एक होटल से छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का एक संगठित नेटवर्क चलाया, जिसमें विदेशी फंडिंग से 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ। वह हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर और भोले-भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। गैंग के सदस्यों ने 40 से अधिक बार इस्लामी देशों की यात्राएं कीं और अलग-अलग बैंक खातों में मोटी रकम जमा की। यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के मधेपुरा गांव में छांगुर बाबा ने करोड़ों की लागत से आलीशान कोठी बनवाई थी। धर्मांतरण का काला धंधा उजागर होने के बाद से इस कोठी को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। छांगुर बाबा के घर की दीवारें बहुत मजबूत बनाई गई थीं। दीवारों में पुल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हाईक्वालिटी रॉड्स का इस्तेमाल किया गया था। लोहे की तरह दीवारें बनी हुई थीं। दीवारें इतनी मजबूत बनी हुई थी कि बुलडोजर के भी पसीने छूट गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने ऐसे गिरोहों के खिलाफ

छांगुर बाबा की संपत्तियों और बैंक खातों की जांच में जुटी ईडी

अवैध धर्मांतरण के आरोपों में फंसे गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की संपत्तियों, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस), राज्य सरकार के अधिकारियों और कुछ बैंकों को पत्र लिखे हैं। ईडी की लखनऊ जोनल इकाई ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें लखनऊ के गोमती नगर पुलिस थाने में जलालुद्दीन और अन्य के खिलाफ एटीएस की प्राथमिकी को संज्ञान में लिया गया है। जलालुद्दीन, उसके बेटे महबूब, और साथियों नवीन उर्फ जमालुद्दीन तथा नीतू उर्फ नसरीन को एटीएस ने गिरफ्तार कर जेल में रखा हुआ है। जांच एजेंसी जल्द ही अदालत में याचिका दायर कर बलरामपुर जिले के रहने वाले करीमुल्ला शाह से पूछताछ के लिए हिरासत में रिमांड का अनुरोध करेगी। जलालुद्दीन ने अपने और सहयोगियों के नाम लगभग 40 बैंक खातों में करीब 106 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिनमें से अधिकांश राशि पश्चिम एशिया से आई है। बताया गया है कि जलालुद्दीन ने एक व्यापक नेटवर्क बनाया था जो बलरामपुर में स्थित 'चांद औलिया दरगाह' के परिसर से संचालित होता था। यहां वह नियमित रूप से बड़ी सभाएं आयोजित करता था, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक शामिल होते थे। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि जलालुद्दीन ने धार्मिक प्रवचनों और अपनी पुस्तक 'शिजरा-ए-तैय्यबा' के प्रकाशन के माध्यम से इस्लाम को बढ़ावा दिया, जबकि हिंदू, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवस्थित रूप से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित और मजबूर किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस अपराध से प्राप्त आय की जांच के लिए एटीएस, बलरामपुर जिला प्रशासन और संबंधित बैंकों के धन शोधन निरोधक प्रकोष्ठों को पत्र भेजकर जलालुद्दीन, उसके परिवार और सहयोगियों की चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों और वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी मांगी है।

कड़ी कार्रवाई का संकल्प जताया है। छांगुर बाबा भारत-नेपाल सीमा पर इस्लामी दवा केंद्र बनाने की तैयारी कर चुका था। इसका असल मकसद धर्मांतरण का अडडा खड़ा करना था। इसके लिए फंडिंग शुरू हो चुकी थी। साइकिल पर रत्न, अंगूठी और ताबीज बेचने से लेकर 106 करोड़ रुपये की संपत्ति इकट्ठा करने तक, छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का उदय तेजी से हुआ। छांगुर बाबा पर सैकड़ों महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने और अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त करने का आरोप है। कथित तौर पर, उसने महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए जाति-आधारित दर सूची बना रखी थी, जिसमें ब्राह्मणों के लिए 16 लाख रुपये तक की पेशकश की गई थी। बलरामपुर में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड के रूप में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (यूपी-एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए इस उदय के पीछे एक भयावह सुराग छिपा है, जहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कथित तौर पर गैर-मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को निशाना बनाता था और उनके धर्मांतरण के लिए एक 'रेट लिस्ट' भी रखता था। एक समय साइकिल पर ताबीज बेचने वाला व्यक्ति कैसे करोड़ों रुपये के धर्मांतरण सिंडिकेट का कथित मास्टरमाइंड बन गया? छांगुर बाबा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और 50,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा ाा के बाद धर्मांतरण मास्टरमाइंड को 5 जुलाई को यूपी-एटीएस ने उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। 8 जुलाई को बलरामपुर के माधपुर गांव में एक दरगाह के पास अवैध रूप से बनाई गई छांगुर बाबा की हवेली, कथित तौर पर मध्य पूर्व से प्राप्त 106 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति से बने एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा थी।

बलरामपुर के एक छोटे से गांव में जन्मा जलालुद्दीन साइकिल से ताबीज-अंगूठी बेचता था

जलालुद्दीन का जन्म बलरामपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके बाएं हाथ में छह उंगलियां होने के कारण बचपन से ही लोग उन्हें 'छांगुर' कहकर बुलाने लगे। यह नाम उसकी शारीरिक विशेषता के कारण पड़ा, लेकिन यही नाम आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। गांव वालों के लिए यह नाम मजाक से शुरू हुआ, लेकिन जलालुद्दीन ने इसे अपनी ताकत बना लिया। बड़े होने पर जलालुद्दीन ने छोटे-मोटे काम शुरू किए। उसने फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम शुरू किया और बाद में साइकिल से गांव-गांव जाकर अंगूठी, ताबीज और नकली आभूषण बेचता था। उसकी मेलजोल की कला ने उसे इलाके में लोकप्रिय बना दिया। इस लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पत्नी को ग्राम प्रधानी के चुनाव में उतारा। उनकी पत्नी ने चुनाव जीता, और इसके बाद जलालुद्दीन के पास धन और प्रभाव दोनों आने लगे। प्रधानी के बाद जलालुद्दीन ने अपने रसूख का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए काम करना शुरू किया। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और सामाजिक समर्थन देकर उसने इलाके में अपनी एक अलग छवि बनाई। इसी दौरान उसने खुद को 'पीर बाबा' घोषित कर दिया। गांव वालों के बीच उसकी आध्यात्मिक छवि बन गई, और लोग उसे 'छांगुर बाबा' के नाम से जानने लगे। इतना ही नहीं उसके दरगाह पर लोग अपनी मन्नतें मांगने आने लगे। अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 15 सालों से यह रैकेट चला रहा था। एटीएस की जांच में यह बात सामने आई है कि उसका कनेक्शन माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से भी था। कहा जा रहा है कि छांगुर ने मुख्तार के रसूख के बदौलत न सिर्फ धर्मांतरण का खेल खेला बल्कि जमीन की अवैध खरीद फरोख्त भी की। अब एटीएस इसकी भी जांच कर रही हैं। एटीएस ने छांगुर और नीतू उर्फ नुसरत को सात दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद है। छांगुर बाबा के रूप में जलालुद्दीन की लोकप्रियता के बाद वह लोगों का धर्मांतरण करवाने लगा। जो नहीं मानता उसे झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाता था। यूपी एटीएस चीफ अमिताभ यश ने बताया कि धर्मांतरण की शुरुआत करने के बाद उसे विदेश से फंडिंग मिलने लगी। वह इन पैसों से जमीन की खरीद फरोख्त करने लगा। बलरामपुर में ही एक सिंधी परिवार का धर्मांतरण करवाकर उन्हीं के नाम पर आलीशान कोठी बनवा दी। एटीएस की जांच में अभी तक 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग की बात निकल कर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यह 500 करोड़ से अधिक का भी हो सकता है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा, हमने बलरामपुर में एक हिंसक अपराधी को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे, साथ ही ग्रह की रक्षा भी करेंगे।

अब वोटर बनने के लिए नागरिकता का शिगूफा!

डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

अब तक भारत में पहचान और नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को सबसे जरूरी दस्तावेज़ माना जाता था। लेकिन हाल ही में सरकार की नई घोषणा ने लोगों को चौंका दिया है। अब आधार और पैन की जगह दो नए दस्तावेजों को नागरिकता प्रमाण के तौर पर मान्यता दी जा रही है। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो आधार या पैन कार्ड नही बनवा पाए है। इन दो दस्तावेजों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम व नागरिकता प्रमाणपत्र को अब पहचान और नागरिकता के पुख्ता सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, खासकर सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट आवेदन, नौकरी या बैंक खाता खोलने जैसे मामलों में ये दस्तावेज काम आएंगे। यदि आपका नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नहीं है, तब आप नागरिकता प्रमाणपत्र के माध्यम से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नागरिकता प्रमाणपत्र लेने के लिए जरूरी दस्तावेज़ में जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल का प्रमाणपत्र, साथ ही माता-पिता की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज़, इसके लिए सन 1950 से पहले का कोई भी निवास प्रमाणपत्र जैसे जमीन का रिकॉर्ड, राशन कार्ड आदि जिसे शपथ पत्र व दो गवाहों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। दरअसल आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वही पैन कार्ड मुख्यत: टैक्स से जुड़ा दस्तावेज़ है, जो नागरिकता को प्रमाणित नही करता। जिन लोगो का आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या पता गलत है या जो सन 1950 से पहले के प्रवासी हैं या जिनके पूर्वज दूसरे देश से आए थे, या जो शरणार्थी है या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम नहीं है और अब तक कोई वैध नागरिकता प्रमाणपत्र जिन्होंने नही बनवाया। उन सभी को तुरंत संबंधित दस्तावेज़ इकट्ठा करके अपना नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम जुड़वाना चाहिए या नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए हर राज्य में नागरिकता प्रमाणपत्र केंद्र बनाए जा रहे हैं। एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है, जिसके लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है, जहां से फॉर्म भरे जा सकते हैं। स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को उक्त दस्तावेज़ तैयार करने में मदद करें। सरकार ने अब तक भारत के प्रत्येक नागरिक को आधार कार्ड देने की मुहिम तो चलाई लेकिन नागरिकता प्रमाण पत्र के बारे में कभी नही सोचा गया। भले ही भाजपा ने सन 2014 के बाद अभी तक ज्यादातर चुनाव बिना किसी डर के जीते है लेकिन जब तीसरे आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा जनता ने नकार दिया तो भाजपा को सत्ता में बने रहने की फिक्र हुई और भाजपा सरकार के कहने पर पहली बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार से मतदाताओं की नागरिकता जांचने की मुहिम शुरु की, जो अब सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई दायरे में पहुंच गई है। यदि ये मुहिम भारत सरकार का गृह मंत्रालय उसी तर्ज पर चलाता जैसे कांग्रेस सरकार ने आधार पहचान पत्र के लिए देशव्यापी मुहिम चलाई थी, तब हम सब इसका समर्थन करते, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में जन्मजात और अनुवांशिक नागरिकता प्रचलित है इसलिए सभी के पास अलग से कोई नागरिकता प्रमाण पत्र नही होता। नागरिकता प्रमाणपत्र उन्ही प्रदेशियों के लिए जारी किया जाता है जो इसके लिए बाकायदा आवेदन करते हैं। भारत में आमतौर से कोई भी शासकीय सुविधा या अधिकार पाने के लिए आयकर प्रमाण पत्र से ज्यादा महत्व आधार पहचान पत्र को दी जा रही है। ज्यादातर के पास वंशानुगत या जन्म आधारित नागरिकता है लेकिन इसका कोई प्रमाण पत्र भी किसी के पास नहीं है। हालांकि पासपोर्ट के आधार पर पूरी दुनिया देश के नागरिकों को भारतीय मानकर अपने यहां आने-जाने देती है, कारोबार करने देती है। लेकिन पासपोर्ट को अपने देश में नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता। यदि विदेशी सरकारें भी भारत सरकार की तरह पासपोर्ट के आधार पर हमें भारतीय मानने से इंकार कर दें तो हम कहीं आ जा भी नही सकेंगे। यद्यपि पासपोर्ट जारी ही तब किया जाता है जब जन्म का, आवास का, संपत्ति का और पुलिस द्वारा चरित्र का सघन सत्यापन करा लिया जाता है, यही प्रक्रिया मतदाता पहचान पत्र जारी करने मे अपनाई जाती है। ऐसे में यदि बिहार या देश के किसी भी राज्य में जारी मतदाता पहचान पत्रों को संदिग्ध माना जा रहा है तो इसके लिए दोषी स्वयं केंद्रीय चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का बीएलओ से लेकर जिला स्तर का अधिकारी इस प्रक्रिया में दोषी है। क्योंकि उन्होंने ही एक लंबी प्रक्रिया के बाद आधार

कार्ड आदि दस्तावेज बनवाये है। नागरिकता प्रमाण पत्र मुख्य रूप से उन लोगों को जारी किया जाता है जो जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्रीय समावेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं, नागरिकता अधिनियम, 1955 के मुताबिक, भारत में जन्मे अधिकांश लोग स्वत: नागरिक माने जाते हैं, और उनके लिए नागरिकता का प्रमाण आमतौर पर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, या अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि के माध्यम से स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाकर मौजूदा सरकार ने असम में एन आर सी प्रक्रिया के तहत नागरिकता सत्यापन करने का अभियान चलाया था जिसमें लगभग 1.9 मिलियन लोग नागरिकता साबित करने में असफल रहे है, लेकिन इनमें से किसी को भी देश निकाला नहीं दिया गया है। यही सब अब बिहार में बिना एन आर सी के करने की कोशिश की जा रही है। जिससे साफ है कि बिहार से भी किसी को नहीं निकाला जाएगा, केवल उनका मताधिकार छीना जाएगा ताकि वे भाजपा को न हरा सकें। वास्तविकता यह है कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, इनमें से अधिकांश लोग जन्म के आधार पर स्वत: भारतीय नागरिक हैं। केवल उन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है जो गैर-नागरिक पृष्ठभूमि से आते हैं या जिन्होंने पंजीकरण/प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है। ऐसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि को दरकिनार कर नागरिक प्रमाण पत्र को आधार बनाकर वोटर तय करना आज के समय मे बेमानी ही कहा जायेगा। (लेखक ज्वलंत मुद्दों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार है)

संघ प्रमुख 75 में 'सेवानिवृत्ति' के पक्ष में, तो मोदी क्यों अपवाद!

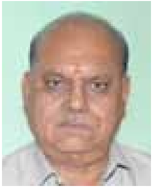

अजय कुमार,
वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान तल्ख टिप्पणी की कि 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर नेताओं को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। यह बयान उन्होंने दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले के हवाले से दिया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि 75 वर्ष की आयु में शॉल ओढ़ाए जाने का अर्थ है कि व्यक्ति को अब रुक जाना चाहिए और दूसरों को आगे आने देना चाहिए। भागवत का यह बयान, जो सामान्य प्रतीत होता है, ने भारतीय राजनीति में तीव्र चर्चा को जन्म दिया है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वयं भागवत, दोनों सितंबर 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस बयान ने विपक्षी दलों को यह सवाल उठाने का अवसर दिया कि क्या यह टिप्पणी मोदी के लिए एक सूक्ष्म संदेश है या यह केवल एक सामान्य वैचारिक सिद्धांत की पुनरावृत्ति है।

सबसे पहले बता दें भागवत का यह बयान कोई नया नहीं है। 2019 में भी उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि नरेंद्र मोदी इस नियम से अपवाद हैं, क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रासंगिकता असाधारण है। इस बार, हालांकि, भागवत ने ऐसा कोई अपवाद स्पष्ट नहीं किया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उनका दृष्टिकोण बदल गया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आरएसएस के बीच संबंधों को लेकर चर्चा को हवा देता है। बीजेपी, जो आरएसएस की वैचारिक शाखा मानी जाती है, में पहले भी 75 वर्ष की आयु सीमा का अनौपचारिक नियम रहा है, जिसके तहत लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में इस नियम को लागू करने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता, वैश्विक कद, और पार्टी पर पकड़ अभी भी मजबूत है।

भागवत का यह बयान विपक्षी दलों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि यह बयान मोदी के लिए एक 'घर वापसी' का संदेश है, और शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत ने इसे सीधे तौर पर मोदी के लिए संदेश के रूप में व्याख्या की। राउत ने यह भी उल्लेख किया कि मोदी ने स्वयं इस आयु सीमा के नियम को लागू किया था, और अब यह देखना बाकी है कि क्या वह इसे स्वयं पर लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले

साल इस मुद्दे को उठाया था, जब उन्होंने भागवत को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या वह बीजेपी के इस नियम से सहमत हैं, जिसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के नेताओं को सेवानिवृत्त किया जाता है। विपक्ष की यह रणनीति स्पष्ट रूप से बीजेपी और आरएसएस के बीच संभावित मतभेदों को उजागर करने की कोशिश है, ताकि सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पैदा की जा सके।

हालांकि, बीजेपी ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी के संविधान में 75 वर्ष की आयु सीमा का कोई औपचारिक नियम नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मई 2023 में स्पष्ट किया था कि मोदी 2029 तक नेतृत्व करते रहेंगे, और सेवानिवृत्ति की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण ावीस ने भी इस दावे का खंडन किया कि भागवत का बयान मोदी के लिए था, और इसे सामान्य टिप्पणी बताया। यह स्पष्ट है कि बीजेपी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता और नेतृत्व पार्टी के लिए अभी भी अपरिहार्य हैं।

दूसरी ओर, भागवत का बयान स्वयं उनके लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि वह भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। आरएसएस में कोई औपचारिक सेवानिवृत्ति की आयु सीमा नहीं है, और पिछले सरसंघचालकों ने तब तक पद संभाला, जब तक उनकी शारीरिक स्थिति अनुमति देती थी। उदाहरण के लिए, राज्जू भैया और के.एस. सुदर्शन ने 78 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा, जबकि बालासाहेब देवरस 79 वर्ष तक सरसंघचालक रहे। इस संदर्भ में, भागवत का बयान उनके अपने भविष्य के बारे में भी सवाल उठाता है। क्या वह स्वयं इस सिद्धांत का पालन करेंगे, या यह केवल एक वैचारिक टिप्पण ी थी? आरएसएस के सूत्रों ने इस बयान को हल्का करने की कोशिश की है, यह कहते हुए कि यह केवल पिंगले के हास्यप्रिय स्वभाव को दर्शाने वाली कहानी थी, न कि कोई नीतिगत सुझाव।

इस बयान का समय भी महत्वपूर्ण है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब आरएसएस अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है, और बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आरएसएस और बीजेपी के बीच शक्ति संतुलन को लेकर एक सूक्ष्म संदेश हो सकता है। 2024 के चुनावों से पहले भी दोनों संगठनों के बीच कुछ तनाव की खबरें थीं, विशेष रूप से जब बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। भागवत के इस बयान को कुछ लोग आरएसएस की वैचारिक प्रभुता को पुनः स्थापित करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं।

इसके अलावा, यह बयान भारतीय राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन और उत्तराधिकार के व्यापक सवाल को भी उठाता है। बीजेपी में मोदी के बाद नेतृत्व की दौड़ में अमित शाह, नितिन गडकरी, और देवेंद्र फडणवीस जैसे नाम उभर रहे हैं। भागवत का बयान, चाहे वह सामान्य हो या लक्षित, इस चर्चा को और हवा देता है कि क्या बीजेपी में अब एक नई पीढ़ी को तैयार करने का समय आ गया है। हालांकि, मोदी की वैश्विक छवि और पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए, उनके सेवानिवृत्त होने की संभावना कम लगती है, जब तक कि वह स्वयं इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते।

लब्बोलुआब यह है कि मोहन भागवत का यह बयान एक साधारण वैचारिक टिप्पणी से कहीं अधिक है। यह न केवल बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय राजनीति में उम्र, नेतृत्व, और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। विपक्ष इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है, जबकि बीजेपी इसे खारिज करने की कोशिश कर रही है। भागवत का यह बयान, चाहे वह सामान्य हो या लक्षित, भारतीय राजनीति में एक नए विमर्श को जन्म दे चुका है, और इसका प्रभाव आने वाले महीनों में और स्पष्ट होगा।

श्री महेन्द्र भट्ट एम.पी. (राज्यसभा) को उनके दिल्ली आवास में व्यक्तिगत रूप से भेंट कर पुनः भाजपा, उत्तराखण्ड के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए सीए राजेश्वर पैन्यूली (सह -संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ एवम् प्रवक्ता, पैनिलिस्ट, बीजेपी, उत्तराखण्ड)

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) से राजभवन देहरादून में फोटोग्राफर श्री भूमेश भारती ने शिष्टाचार मुलाकात कर अपनी नवीनतम कॉफी टेबल बुक 'एरियल विस्टास ऑफ उत्तराखण्ड' भेंट की।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) से बुधवार को राजभवन में पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ ने मुलाकात की। इस दौरान पुलिस महानिदेशक द्व ारा राज्यपाल को आगामी कांवड़ मेले हेतु सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन में पुलिस की सक्रिय भूमिका, तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कार्यदक्षता में वृद्धि, महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों तथा पुलिसकर्मियों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

सावन माह के साथ कांवड़ यात्रा शुरू, शिवभक्तों में छाया उत्साह

शुक्रवार, 11 जुलाई सावन महीने की पावन शुरुआत हो गई है, साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है।

श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान कांवड़िए पवित्र नदियों से गंगाजल भरकर अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में यह यात्रा विशेष श्रद्धा और धूमधाम से निकाली जाती है। श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थ स्थलों से गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने इष्ट शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। सावन में इस बार 4 सोमवार का संयोग बन रहा है। पहला सावन सोमवार 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सावन सोमवार 4 अगस्त 2025 को है। उत्तराखंड में इस यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व माना जाता है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

11 जुलाई 2025 से सावन महीने की पावन शुरुआत हो गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है, जिससे प्रदेश में शिवभक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य तीर्थ स्थलों पर हजारों श्रद्धालु जल भरने के लिए उमड़ रहे हैं। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान कांवड़िए पवित्र नदियों से गंगाजल भरकर अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में यह यात्रा विशेष श्रद्धा और धूमधाम से निकाली जाती है। श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और देवघर जैसे तीर्थ स्थलों से गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने इष्ट शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। उत्तराखंड में इस यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व माना जाता है। इस पूरे माह भगवान शिव का जलाभिषेक करने से लेकर कांवड़ यात्रा करना शुभ माना जाता है। हरिद्वार कावड़ यात्रा का प्रमुख केंद्र है जहां हर साल श्रावण मास में भव्य मेले का आयोजन होता है। कावड़ मेले की शुरुआत महीना पहले ही शुरू हो जाती है श्रावण मास के पहला दिन अलग-अलग राज्यों से आए शिव भक्तों ने हर की पैड़ी से जल भरा और बोल बम, बम-बम के जयकारों का उद्घोष करते हुए अपने गंतव्य को रवाना हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन माह के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह के दुख-दर्द से निजात मिल जाती है। शिव जी के जलाभिषेक के लिए सावन में इस बार 4 सोमवार का संयोग बन रहा है। पहला सावन सोमवार 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सावन सोमवार 4 अगस्त 2025 को है। हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़िए कहलाते हैं।

धामी सरकार और प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती, मेडिकल कैंप और जलपान केंद्रों की व्यवस्था के साथ-साथ यातायात योजना भी लागू की गई है ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे देवभूमि के रास्ते यह संकेत दे रहे हैं कि श्रद्धा, भक्ति और आस्था का यह महापर्व पूरे शबाब पर है।

उत्तराखंड के हरिद्वार में छह करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद

उत्तराखंड में ये कांवड़िए गंगाजल भरने हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री आते हैं। यहां से गंगाजल भरकर अपने घर जाते हैं। वहां अपने आराध्य भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा में युवाओं के साथ बड़े-बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी शामिल होती हैं। ज्यादातर शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर पैदल आते हैं और भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। कांवड़ियों का मानना है कि उनकी इस कठिन यात्रा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष निकला था, तो भगवान

शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हेतु उसे अपने कंठ में धारण किया था। तब देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए गंगाजल अर्पित किया। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्रद्धालु सावन में गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पर संपन्न होगी। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कांवड़ मेला क्षेत्र को सुरक्षित और व्यवस्थित सम्पन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 38 जोन ओर 134 सेक्टरों में बंटा गया है। आधा दर्जन ड्रोन से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार वर्ष 2024 के कांवड़ मेले में 4.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार आए थे। इस बार छह करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। मेले के लिए 2,981 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र में पीएसी की 15 कंपनी, जल बचाव दल की एक कंपनी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 18 कंपनी तैनात की गई हैं। इसका असर देहरादून और हरिद्वार से दिल्ली-एनसीआर की यात्रा करने वालों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहां डायवर्जन के कारण दूरी और किराया दोनों बढ़ जाएगा।

उत्तराखंड ग्रीन परिवहन की अवधारणा को साकार करने के लिए बेहतर इंसेंटिव प्रावधानों को पॉलिसी में शामिल करें: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड की इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी- 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया

उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन के अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही ई.वी. पॉलिसी के विभिन्न आयामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखंड में ग्रीन परिवहन की अवधारणा को साकार करने तथा मा. प्रधानमंत्री के इलेक्ट्रिक वाहन के संबंध में 2030 तक के लक्ष्य के अनुरूप पॉलिसी में मैन्युफैक्चरर, उपभोक्ता और संचालक सभी के लिए बेहतर इंसेंटिव का प्रावधान शामिल करें जिससे इलेक्ट्रिक वाहन का एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप हो सके।

उन्होंने बेहतर इंसेंटिव के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन के अनुकूल में आने वाले अवरोधों के त्वरित समाधान के लिए पॉलिसी में प्रभावी और त्वरित निगरानी तंत्र का प्रावधान करने के भी निर्देश दिए।

सचिव विनय शंकर पांडेय और परिवहन विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए इस पॉलिसी में मैन्युफैक्चरर से लेकर उपभोक्ता, संचालक और चार्जिंग स्टेशन स्थापन इत्यादि के लिए बेहतर इंसेंटिव का प्रावधान किया जा रहा है। कहा कि इस पॉलिसी में कार्बन क्रेडिट बेनिफिट के लिए प्रेरक इंसेंटिव, इंडस्ट्री साइड और उपभोक्ता साइड के लिए इंसेंटिव, कैपिटल सब्सिडी, स्टाम्प डयूटी, ब्याज सब्सिडी, भूमि रिबेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इत्यादि सभी के लिए इंसेंटिव का प्रावधान की बात है।

इसमें वाहन की अलग-अलग श्रेणी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ई बस इत्यादि के क्रम में इंसेंटिव का प्रावधान शामिल होगा। उन्होंने अवगत कराया कि भारत में कुल वाहन की संख्या 34 करोड़ है। जिसमें 61.65 लाख इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। उत्तराखंड में कुल वाहन 4215496 है जिसमें कुल इलेक्ट्रिक वाहन 84614 हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडेय, डॉ. आर राजेश कुमार व एस एन पांडेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

धामी सरकार का 'नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प' होगा साकार, स्वास्थ्य विभाग ने तेज़ की कार्रवाई

बिना पंजीकरण के चल रहे केंद्रों को चिन्हित कर किया जाएगा बंद, आर्थिक दंड सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी- *डॉ. आर राजेश कुमार*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रदेश को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 'नशा मुक्त उत्तराखंड' के विज़न को धरातल पर उतारने हेतु बहुस्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य न केवल नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी करना है, बल्कि आम जनमानस में इस विषय पर जागरूकता फैलाकर एक सामाजिक क्रांति लाना भी है।

जिलास्तरीय निरीक्षण टीमों के गठन के निर्देश

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के सभी नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति, पंजीकरण, मानकों की पूर्ति और निरीक्षण की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा हुई। सचिव स्वास्थ्य ने निर्देश दिए कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के तहत सभी जिलों में जिलास्तरीय निरीक्षण टीमें अविलंब गठित की जाएं। इन टीमों द्वारा प्रत्येक नशा मुक्ति केंद्र की गहन जांच की जाएगी। जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते या बिना पंजीकरण के कार्यरत हैं, उन्हें चिन्हित कर आर्थिक दंड और तत्काल बंदी की कार्रवाई की जाएगी।

धामी सरकार की नशा मुक्ति नीति को मिल रही गति

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रदेश को नशे की प्रवृत्तियों से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है। 'नशा मुक्त उत्तराखंड' केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

नशा मुक्ति केंद्रों की सख्त निगरानी के निर्देश

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बैठक के दौरान प्रदेश में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी, पंजीकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश दिए गए। सचिव स्वास्थ्य ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के तहत निरीक्षण टीमें अविलंब गठित की जाएं।

अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर कठोर कार्रवाई

डॉ. आर. राजेश कुमार ने सख्त शब्दों में कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम प्रदेश में किसी भी अवैध और अपंजीकृत नशा मुक्ति केंद्र को संचालित नहीं होने देंगे। ऐसे सभी केंद्र जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते, उन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा बिना वैध पंजीकरण संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें चिन्हित कर आर्थिक दंड सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तत्काल बंद किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम के अनुसार केवल उन्हीं संस्थानों को कार्य करने की अनुमति दी जाए जो न्यूनतम मानकों को पूर्ण करते हैं।

सभी विभागों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील

सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश की जनता और सभी विभागों से अपील की कि वे इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जन-जागरूकता ही नशा मुक्ति की सबसे सशक्त दवा है। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम स्तर से लेकर शहरों तक व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाएं।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा विस्तार

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा बैठक में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा वर्तमान गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु एक अग्रिम कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। यह योजना अधिनियम 2017 के सफल क्रियान्वयन को और गति देगी।

प्राधिकरण को सशक्त और संसाधनयुक्त बनाए जाने पर बल

डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वसनीयता और परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। इस महत्वपूर्ण बैठक में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टम्टा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शिखा जंगपांगी, संयुक्त निदेशक डॉ. सुमित बरमन, सहायक निदेशक डॉ. पंकज सिंह सहित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

2027 तक बदल चुका होगा हरिद्वार

हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार शहर के संपूर्ण डेवलपमेंट और 2027 में हरिद्वार कुंभ मेला की आवश्यकता का मुख्य सचिव को दिया गया प्रेजेंटेशन

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड औद्योगिक निवेश एवं विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की कार्यकारी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड नियोजन विभाग के अंतर्गत गठित यूआईआईडीबी द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार शहर के संपूर्ण डेवलपमेंट और 2027 में हरिद्वार कुंभ मेला की आवश्यकता से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण में हरिद्वार शहर का सुगम मोबिलिटी प्लान, सौंदर्यीकरण, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तीर्थ यात्री फ्रेंडली एक्सेस डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, पब्लिक सुविधाओं का विकास, भीड़ प्रबंधन, कल्चरल हब डेवलपमेंट, पार्किंग, सती कुण्ड डेवलपमेंट, 10 जंक्शंस का ज्यामितीय इंप्रूवमेंट, मल्टी मॉडल टूरिज्म एक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक ऐड्रेसिंग सिस्टम, तीर्थ यात्री फ्रेंडली सुविधाओं, चंडी देवी, मनसा, देवी, माया देवी व विलकेश्वर मंदिर से जुड़े डेवलपमेंट कार्यों पर आगामी 2027 के कुंभ मेला के दृष्टिगत व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

हरिद्वार के मुख्य लैंडमार्क (धार्मिक केंद्रों) का पेडेस्ट्रियन वे (पैदल मार्ग) सर्किट प्लान बनाएं

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, दक्ष मंदिर, हर की पैड़ी, भारत माता मंदिर, दक्षिणेश्वर काली इत्यादि हरिद्वार के मुख्य धार्मिक केंद्रों का पेडेस्ट्रियन वे सर्किट प्लान बनाएं।

उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों का पैदल मार्ग ऐसा हो जिसमें उनको कहीं पर भी थोड़े समय के लिए भी रुकना ना पड़े (कोई भी अवरोध ना हो) तथा ऐसा पेडेस्ट्रियन मार्ग वन वे हो जिसमें सुरक्षा के भी सभी वैकल्पिक इंतजाम हो। उन्होंने मेलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, संबंधित कंसल्टेंट एजेंसी और संबंधित स्टेकहोल्डर को आपसी समन्वय से 15 दिवस के भीतर इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

हर की पैड़ी में आरती पॉइंट पर व्यवस्थित एंट्री-एग्जिट प्लान बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने मेला अधिकारी, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन, और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हरकी पैड़ी का आरती पॉइंट सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाला स्थान रहता है तथा यहां पर क्राउड मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी चुनौती भी रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थित प्रवेश और निकासी का दुरुस्त प्लान बनाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

हरिद्वार में फॉरेस्ट से सटे क्षेत्रों में डेवलपमेंट हेतु राजाजी पार्क प्रशासन होगी कार्यदाई एजेंसी

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि विभिन्न धार्मिक केंद्रों, पब्लिक सुविधाओं के विकास और अन्य डेवलपमेंट से संबंधित ऐसे कार्य जो राजाजी पार्क प्रशासन के क्षेत्र के निकट हैं अथवा आंशिक रूप से उनके क्षेत्र से संबंधित हों उन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए राजाजी पार्क प्रशासन को कार्यदाई एजेंसी बनाया जाए ताकि डेवलपमेंट से जुड़े कार्य तेजी से पूरे हो सके।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन को रखें

उच्च प्राथमिकता में मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि जो कार्य अधिक महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं और शीघ्रता से पूरे किए जाने हैं उनको उच्च प्राथमिकता में रखें। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा के आपातकालीन उपाय इत्यादि कार्यों को उच्च प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए।

जहां जरूरी हो तो संबंधित स्थानीय निकाय, ट्रस्ट, गंगा सभा, स्थानीय प्रतिनिधि आदि हितधारकों को विश्वास में लेकर कार्य संपादित करें

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि विभिन्न कार्यों को संपादित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर स्थानीय लोकल बॉडी, प्रतिनिधि अथवा स्थानीय ट्रस्ट आदि का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो वहां पर उनके समन्वय से कार्य करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और स्टेकहोल्डर को हरिद्वार के डेवलपमेंट के संबंध में संयुक्त रूप से संपूर्ण शहर का विजिट करने के निर्देश दिए और डेवलपमेंट प्लान में जहां पर कुछ और प्रावधान किए जाने की आवश्यकता हो तो उनको भी प्लान में शामिल करने हेतु प्रस्ताव बनाने को कहा।

इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव एल एल फैनई व आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर व डॉ. पंकज कुमार पांडेय, विशेष सचिव अजय मिश्रा, कुंभ मेला अधिकारी हरिद्वार श्रीमती सोनिका सहित संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर सख्ती जनता के हक में, इलाज होगा सुरक्षित और प्रामाणिक - डॉ. आर. राजेश कुमार

स्वास्थ्य सचिव के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश, प्रैक्टिस से पहले सभी डॉक्टरों का पंजीकरण अनिवार्य

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश के किसी भी चिकित्सक, चाहे वह सरकारी सेवा में हो या निजी क्षेत्र में कार्यरत बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया है। सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ)को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत सभी डॉक्टरों की सूची तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बिना पंजीकरण प्रैक्टिस न कर रहा हो। जिन डॉक्टरों ने अब तक नवीनीकरण नहीं कराया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 पूर्ववर्ती इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत उठाया गया है। यह अधिनियम देशभर में चिकित्सा सेवा को नियंत्रित करता है और इसके तहत केवल वैध रूप से पंजीकृत चिकित्सक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि कई चिकित्सक वर्षों से बिना पंजीकरण प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लग रहे थे। साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में बिना वैध पंजीकरण प्रैक्टिस नहीं चलने दी जाएगी।

जनता के विश्वास को भी मज़बूत करेगा

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया राज्य में ऐसी कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग डॉक्टर के नाम पर सेवा दे रहे हैं, जबकि उनके पास वैध डिग्री या पंजीकरण नहीं है। यह आदेश न केवल ऐसे लोगों पर रोक लगाएगा बल्कि जनता के विश्वास को भी मज़बूत करेगा।

पंजीकरण प्रक्रिया होगी सरल और तेज़

राज्य में बिना पंजीकरण प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर या नवीनीकरण नहीं कराया है। अब सभी को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। चिकित्सा परिषद को डॉक्टरों की अद्यतन सूची जनपदों को भेजने और बिना पंजीकरण प्रैक्टिस करने वालों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन

प्रक्रिया को भी सरल और ऑनलाइन बनाया जा रहा है।

जनस्वास्थ्य और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यह निर्णय औपचारिकता नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास है। शासन की मंशा है कि कोई भी मरीज बिना पंजीकरण प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर से इलाज न कराए।

निर्देशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

सीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे डॉक्टरों की प्रमाणपत्रों की जांच कर सुनिश्चित करें कि कोई भी बिना पंजीकरण प्रैक्टिस न कर रहा हो। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित डॉक्टरों को सेवा से पृथक करने या नोटिस जारी करने को कहा गया है। जनपदवार प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक रूप से शासन को भेजी जाएगी।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा राज्य में मरीजों को केवल पंजीकृत और प्रमाणित चिकित्सकों से इलाज मिलेगा। चिकित्सा परिषद की भूमिका और डॉक्टरों की जिम्मेदारी दोनों ही अब और अहम होंगी।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

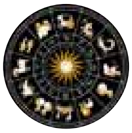
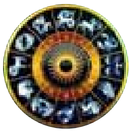

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- युवाओं का अपने भविष्य को लेकर कोई खास काम पूरा होगा। अपनी क्षमता और योग्यताओं का पूरा इस्तेमाल करें। किसी भी रुकावट की चिंता किए बिना आप आगे बढ़ेंगे। घर में मेहमान आएंगे जिससे सभी परिवार के सदस्य खुशी से समय बिताएंगे। यदि कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले उससे जुड़ी सभी बातों की जानकारी लें। जो आपको परेशानियों से बचाएगा।

वृषभ राशि- कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो उसे वापस पाने का अच्छा समय है। घर के बड़े-बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के अनुभव और सलाह का पालन करें। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं को अपने करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से आराम मिलेगा। कभी-कभी मन में कुछ बुरा होने का डर लग सकता है।

मिथुन राशि- प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा और आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनकी गतिविधियों में साथ देना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी। अपना सम्मान बनाए रखें और अपने विरोधियों की गतिविधियों को अनदेखा न करें।

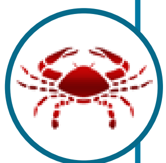

कर्क राशि- अनुभवी और बड़े लोगों से मिलते-जुलते रहें और अपने विचारों को भी बताएं। इससे आपको अपनी कई परेशानियों का अपने आप ही हल मिल जाएगा। आपको समाज में सम्मान और यश भी मिलेगा। आपके निजी काम भी काफी हद तक पूरे होंगे। ध्यान रहे, पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो सकता है। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है।

सिंह राशि- व्यस्त रहने के बावजूद रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए समय निकालना रिश्तों में नजदीकी बढ़ाएगा और आपके निजी काम भी ठीक तरह से चलते रहेंगे। कहीं भी निवेश करने के लिए अच्छा समय है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। सही मार्गदर्शन न मिलने से थोड़ी उदासी और अकेलापन भी महसूस हो सकता है।

कन्या राशि- कोई मनचाहा काम पूरा होने की संभावना है। आप अपनी प्रतिभा और शक्ति से हर मुश्किल का सामना करने में समर्थ रहेंगे। खासकर महिलाओं के लिए समय अच्छा है। घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन बना रहेगा। काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है।

तुला राशि- बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का अच्छा समय है। इस समय जगह बदलने के अच्छे योग बने हुए हैं। इच्छुक लोग इस पर ध्यान से विचार करें। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। विद्यार्थियों को भी अपनी उम्मीद और मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। इस समय कोई भी यात्रा करना नुकसानदायक हो सकता है। परिवार में शांति का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

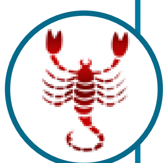

वृश्चिक राशि- यदि आप जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। कुछ नए लोगों से भी संपर्क बनेंगे जो फायदेमंद रहेंगे। युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे नतीजे मिलने से राहत महसूस करेंगे। आप अपने अंदर नई शक्ति महसूस करेंगे। लापरवाही के कारण कोई कीमती चीज खोने की स्थिति बन रही है।

धनु राशि- परिवार की परेशानियों को लेकर आपसी रिश्तों में जो दूरियां आ गई थीं, किसी समझदार सदस्य की मदद से हल हो जाएंगी। और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इस समय लापरवाही के कारण पैसा भी बर्बाद हो सकता है। किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें।

मकर राशि- अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर चलना आपके लिए फायदेमंद होगा। मजेदार और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने में भी समय बीतेगा। पुराने दोस्तों से मिलना-जुलना पुरानी अच्छी यादों को ताजा करेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। गुस्सा और जल्दबाजी के कारण कई बार बनता हुआ काम आखिर में अटक सकता है।

कुंभ राशि- रुका हुआ पैसा आना शुरू होने से राहत मिलेगी। दोस्तों और साथियों के साथ मिलने-जुलने से कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी। पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छे और संतोषजनक नतीजे आएंगे। किसी कार्यक्रम आदि में जाने का निमंत्रण मिलेगा। आलस के कारण किसी भी काम को टालने की कोशिश न करें क्योंकि इसकी वजह से कुछ जरूरी काम रुक सकते हैं।

मीन राशि- कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी रिश्तों में भी मिठास आएगी। यह समय जमकर मेहनत करने का है और सफलता भी जरूर मिलेगी। बच्चों की परेशानियों को सुनना और उनका समाधान करना उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। पैसे से जुड़े कामों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

राजकुमार राव की गैंगस्टर ड्रामा को लोगों ने बताया बोरिंग, दर्शकों ने बताया हिट या फ्लॉप?

राजकुमार राव की मच अवेटेड गैंगस्टर ड्रामा मालिक फाइनली 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। राजकुमार के फैंस जो सुबह का शो देखने पहुंचे उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू शेयर किया है।

क्या है लोगों का रिएक्शन?

अब तक, फिल्म को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। मालिक की शुरुआती समीक्षाओं से पता चलता है कि फिल्म ने कई लोगों को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन राजकुमार राव का अभिनय इसकी सबसे बड़ी खासियत बनकर उभरा है।

मालिक का रिव्यू शेयर करते हुए, एक एक्स यूजर ने लिखा- 'सिर्फ़ राजकुमार राव के दमदार अभिनय के लिए ही देखने लायक है। बाकी सब एक पुराना गैंगस्टर ड्रामा है जिसका निर्देशन कमजोर है और पकड़ भी नहीं है। दुख की बात है कि राज इससे बेहतर के हकदार हैं'

वहीं एक और ने लिखा, वही पुरानी बदले की कहानी जो 1980 और 1990 के दशक में थी। एक तीसरे नेटिजन ने फिल्म की समीक्षा करते हुए लिखा: आपदा और गड़बड़! मालिक एक ऐसी फिल्म है जिसका स्क्रीनप्ले इस तरह से लिखा गया है कि यह आपको भ्रमित करेगा, बोर करेगा और आपको पैसे बर्बाद करने पर मजबूर कर देगा! उन्होंने कई गैंगस्टर फिल्मों की कहानियों, दृश्यों और यहां तक कि संवादों को भी मिलाकर इस गड़बड़झाले को अंजाम दिया है। पहला भाग कम से कम सहनीय है, लेकिन दूसरा भाग अनावश्यक हिंसा और दृश्यों के बीच कोई संबंध न होने के कारण पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है।'

ओपनिंग डे कि कमाई

एडवांस बुकिंग को देखते हुए, मालिक की शुरुआत 2.75 करोड़ रुपये से 3.25 करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है, हालांकि अगर स्पॉट बुकिंग में बड़े पैमाने पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है, तो फिल्म थोड़ी और कमाई कर सकती है। अपनी शैली के कारण, राजकुमार राव अभिनीत इस फिल्म के शुक्रवार को बेहतर प्रदर्शन करने और 3.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की संभावना है। फिल्म को सुपरमैन के साथ-साथ मेट्रो इन दिनो, जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ और एफ1 जैसी पुरानी फिल्मों से भी कड़ी टक्कर मिल रही है।

फिल्म 'मालिक' को मिला करीना कपूर का सपोर्ट

करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म 'मालिक' का ट्रेलर शेयर किया है और लिखा है, किल इट गाइज, ढेर सारा प्यार भेज रही हूं और मूवी को सिनेमाघरों में देखिए। साथ ही उन्होंने राजकुमार राव और पूरी टीम को टैग करते हुए गुड लक लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 54 करोड़ रुपये है। ऐसे में मूवी को अपनी लागत निकालने में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जबकि कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ओपनिंग डे पर फिल्म 3-4 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाएगी।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

हिमालय का वरदान
बद्री गाय का घी

उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली बद्री गाय जिसको "कामधेनु" भी कहा जाता है, का परंपरागत रूप से बनाया गया घी अब देहरादून में भी उपलब्ध है

A2 प्रोटीन युक्त

औषधीय गुणों से भरपूर

इम्युनिटी बढ़ाने में लाभदायक

पाचन में हल्का और बाल विकास में सहायक

कुमार स्वीट्स
- सहस्त्रधारा रोड, निकट क्रॉसिंग
- धर्मपुर, निकट एलआईसी बिल्डिंग

पर उपलब्ध है।

fssai 22623030001586

UDYOG AADHAR MSME UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dehradun
Lokesh Asthana - 7409782771